भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †2714
उत्तर देने की तारीख 09 मार्च, 2026
18 फाल्गुन, 1947 (शक)

खेलो इंडिया नीति-2025

†2714. श्री सुरेश कुमार कश्यपः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश और शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए खेलो इंडिया नीति-2025 के अंतर्गत खेल अवसंरचना, कोच और प्रतिभा पहचान के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं;

(ख) वर्तमान वर्ष और अगले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कितने जिला स्तरीय खेल केन्द्रों, खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी और कितने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा; और

(ग) क्या वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की तैयारियों के लिए शिमला क्षेत्र में एक उच्च प्रशिक्षण/शीतकालीन खेल केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): खेलो भारत नीति 2025 का उद्देश्य भारत में एक मजबूत, समावेशी और प्रदर्शन-संचालित खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इस नीति का विजन है "राष्ट्र निर्माण के हेतु खेल राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेलों की शक्ति का उपयोग करना"। इसमें खेल के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों और शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में जमीनी स्तर पर खेल अवसंरचना को मजबूत करने और उभरती प्रतिभा की शीघ्र पहचान में सहायता करने के प्रावधान शामिल हैं। यह नीति महिलाओं, दिव्यंगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के एथलीटों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण सुविधाओं, समर्पित खेल अवसंरचना और प्रतिस्पर्धी मंचों तक बेहतर पहुंच

विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण देश के पहाड़ी क्षेत्रों में खेल और अवसंरचना के विकास सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी राज्य / संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की होती है। केंद्र सरकार खेल नीति के अनुरूप अपनी मौजूदा स्कीमों और कार्यक्रमों, जो परिभाषित दिशानिर्देशों और सूचना देने की व्यवस्थाओं के भीतर कार्य करती हैं, के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता करती हैं।

तथापि, खेलो इंडिया स्कीम के तहत, हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में कुल 18 खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) अधिसूचित किए गए हैं जहां कुल 280 एथलीटों को पूर्व चैंपियन एथलीटों (पीसीए) द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगले तीन वर्षों के लिए विशिष्ट जिला-वार लक्ष्य संशोधित स्कीम और राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अध्यधीन हैं।

इसके अलावा, खेलो इंडिया स्कीम (केआईएस) और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के "खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन" घटक के तहत, देश भर में खेल अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केआईएस और एनएसडीएफ के तहत अनुमोदित खेल अवसंरचना परियोजनाओं और उनकी स्वीकृत लागत, जारी की गई धनराशि और उनकी वास्तविक और वित्तीय प्रगति का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड **https://mdsd.kheloindia.gov.in** और **http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html** पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खेल अवसंरचना को मजबूत करने, प्रशिक्षण अकादमियों और प्रतिभा की पहचान सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। इस मंत्रालय की स्कीमें मांग-आधारित हैं जिसके तहत राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और पात्र संस्थाओं से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और स्कीम के तहत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।

*****